FDA व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह अनुवाद एक सेवा के रूप में प्रदान करता है। हमें आशा है कि आप इस अनुवाद को उपयोगी पायेंगे। हालांकि एजेंसी ने ऐसा अनुवाद पाने का प्रयास किया है जो यथासम्भव अंग्रेज़ी संस्करण जितना ही प्रामाणिक हो, फिर भी हम स्वीकार करते हैं कि अनुवादित संस्करण उतना सटीक, स्पष्ट, या पूर्ण न भी हो जितना कि अंग्रेज़ी संस्करण है। इस दस्तावेज का अधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी संस्करण है।

मानव एवं पशु खाद्य पदार्थों के स्वच्छ परिवहन के बारे में FSMA अंतिम नियम

मानव एवं पशु खाद्य पदार्थों के स्वच्छ परिवहन के बारे में FDA खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (FSMA) नियम को अब अंतिम रूप दे दिया गया है, इसमें खाद्य पदार्थों को खेत से घरों तक परिवहन करने के दौरान संदूषण से सुरक्षित रखने के लिए FDA के प्रयासों को आगे बढ़ाया गया है। कुछ फर्मों के लिए शीघ्रतम अनुपालन तिथियां - *फेडेरल रजिस्टर* में अंतिम नियम के प्रकाशन से एक वर्ष पश्चात - आरम्भ होंगी।

यह नियम - खाद्य सुरक्षा के लिए एक आधुनिक, जोखिम-आधारित रूपरेखा का निर्माण करने के लिए - जनवरी 2013 से प्रस्तावित किए गए सात बुनियादी नियमों से एक है। इस नियम का लक्ष्य, परिवहन के दौरान खाद्य सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करने वाले तौर-तरीकों की रोकथाम करना है, जैसे कि - खाद्य पदार्थ को उचित तरीके से ठंडा करने में विफल होना, माल चढ़ाने और उतराने के बीच में वाहनों की अपर्याप्त सफाई, तथा खाद्य पदार्थ की उचित तरीके से सुरक्षा करने में विफल होना।

यह नियम 2005 स्वच्छ खाद्य परिवहन अधिनियम (SFTA) में विचार किए गए सुरक्षा-उपायों पर आधारित है। परिवहन के दौरान मानव एवं पशु खाद्य के संदूषित होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बीमारियों, तथा अस्वच्छ परिवहन अभ्यासों की घटनाओं एवं रिपोर्ट के कारण - खाद्य पदार्थों का एक सुरक्षित तरीके से परिवहन सुनिश्चित वाले विनियमनों की आवश्यकता के बारे में लम्बे से चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं।

इस नियम में - मानव एवं पशु खाद्य के परिवहन में शामिल मोटर या रेल वाहन वाले शिपर्स, लोडर्स, कैरियर्स तथा प्राप्तकर्ताओं के लिए - उस खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ अभ्यासों का

प्रयोग करने की आवश्यकताओं को स्थापित किया गया है। कानून में सीमितताओं के कारण शिप या वायुमार्ग के द्वारा किए जाने वाले परिवहन पर ये आवश्यकताएं नहीं लागू होती हैं।

विशिष्ट रूप से, FSMA नियम - वाहनों एवं परिवहन उपकरण, परिवहन प्रचालनों, रिकॉर्ड्स, प्रशिक्षण एवं अधित्यागों के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करते हैं।

इसमें कौन लोग कवर किए गए हैं?

- कुछ अपवादों (निम्न सूचीबद्ध) के साथ, अंतिम नियम - यूनाइटेड स्टेट्स में खाद्य परिवहन करने वाले शिपर्स, प्राप्तकर्ता, लोडर्स एवं कैरियर्स पर लागू होते हैं, चाहे वह खाद्य पदार्थ अंतर-राज्यीय वाणिज्य के लिए प्रस्तावित किया गया हो या नहीं। यह इन लोगों पर भी लागू होता है:
    - व्यक्ति, जैसे कि - दूसरे देशों के शिपर्स जो कि मोटर या रेल वाहन द्वारा (कनाडा या मैक्सिको से) , अथवा शिप या वायुमार्ग से सीधे यूनाइटेड स्टेट्स में खाद्य पदार्थ शिप करते हैं, तथा यू.एस. के अन्दर परिवहन के लिए मोटर या रेल वाहन पर एक साबूत कंटेनर के स्थानांतरण की व्यवस्था करते हैं, बशर्ते कि उस खाद्य पदार्थ को यूनाइटेड स्टेट्स में उपभोग या वितरित किया जाएगा।
- यह नियम ऐसे निर्यातकों पर नहीं लागू होता है, जो खाद्य पदार्थ को मोटर या रेल वाहन द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के माध्यम से शिप करते हैं (उदाहरण के लिए, कनाडा से मैक्सिको), बशर्ते कि वह खाद्य पदार्थ यू.एस. वितरण में प्रवेश ना करता हो।
- निर्यात के लिए अभीष्ट खाद्य पदार्थ के परिवहन में शामिल कम्पनियां इस नियम के अन्तर्गत तब तक कवर्ड होती हैं, जबतक कि शिपमेन्ट किसी पोर्ट या यू.एस. सीमा तक ना पहुंच जाए।

प्रमुख आवश्यकताएं

विशिष्ट रूप से, यह नियम निम्नलिखित के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करेगा:

- **वाहन एवं परिवहन उपकरण:** वाहन एवं परिवहन उपकरण की डिजाइन एवं रखरखाव, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनके द्वारा परिवहन किया जाने वाला खाद्य पदार्थ इनके कारण असुरक्षित ना बने। उदाहरण के लिए, वे अपने अभीष्ट उपयोग के लिए अवश्य ही उपयुक्त एवं

पर्याप्त रूप से सफाई योग्य होने चाहिए, तथा खाद्‌य पदार्थ के सुरक्षित परिवहन के लिए आवश्यक तापमान बनाए रखने में सक्षम होने चाहिए।

- **परिवहन प्रचालन:** खाद्‌य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन के दौरान किए गए उपाय, जैसे कि उपयुक्त तापमान नियंत्रण, खाने के लिए तैयार खाद्‌य पदार्थ का कच्चे खाद्‌य पदार्थ से स्पर्श होने के कारण उत्पन्न होने वाले संदूषण की रोकथाम करना, उसी लोड या पिछले लोड में गैर-खाद्‌य पदार्थों से उत्पन्न होने वाले संदूषण से खाद्‌य पदार्थ की सुरक्षा करना, तथा क्रॉस-सम्पर्क से खाद्‌य पदार्थ की सुरक्षा करना, अर्थात खाद्‌य पदार्थ में कोई एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्व का अनजाने में समावेश।
- **प्रशिक्षण:** स्वच्छ परिवहन अभ्यासों में कैरियर कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण का प्रलेखन। यह प्रशिक्षण उस समय आवश्यक है जब कैरियर एवं शिपर इस बात पर सहमत हों कि परिवहन के दौरान स्वच्छ स्थितियों की जिम्मेदारी कैरियर पर है।
- **रिकॉर्ड्स:** लिखित क्रियाविधियों, अनुबंधों एवं प्रशिक्षण के रिकॉर्ड्स का रखरखाव (कैरियर्स की आवश्यकता)। इन रिकॉर्ड्स के प्रतिधारण समय की आवश्यकता - रिकॉर्ड के प्रकार तथा इसमें कवर्ड क्रियाकलाप घटित होने के प्रकार पर निर्भर करती है, परन्तु 12 माह से अधिक नहीं होती है।

अधित्याग

स्वच्छ खाद्‌य परिवहन अधिनियम एजेन्सी को इस FSMA नियम की आवश्यकताओं के अधित्याग की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते कि यह निर्धारित किया जाए कि इस अधित्याग के परिणामस्वरूप खाद्‌य पदार्थ का परिवहन इस तरीके से नहीं किया जाएगा जो कि मानव या पशु स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं होगा।

FDA ने प्रस्तावित नियम में यह घोषणा की है कि यह लोगों/व्यवसायों के दो समूहों के लिए अधित्याग प्रकाशित करने का इरादा रखती है (नीचे देखें) । फर्मों द्‌वारा इस नियम का अनुपालन करने की आवश्यकता वाली तिथि से पूर्व ही एजेन्सी इन अधित्यागों को फेडेरल रजिस्टर में प्रकाशित करने का इरादा रखती है।

FDA ने राष्ट्रीय शेलफिश स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वैध राज्य अनुज्ञापत्र धारक कम्पनियों हेतु मोलस्का शेलफिश के लिए परिवहन प्रचालन के अधित्याग के अनुरोध वाली टिप्पणियां भी प्राप्त की हैं। एजेन्सी को इस अनुरोध के बारे में समीक्षा टिप्पणियां लगातार प्राप्त हो रही हैं, तथा निकट भविष्य में कोई निर्धारण जारी करेगी।

एजेन्सी निम्नलिखित के लिए अधित्याग प्रकाशित करने का इरादा रखती है:

- ऐसे शिपर्स, कैरियर्स, तथा प्राप्तकर्ता जिनके पास वैध अनुज्ञापत्र हैं तथा नेशनल कॉन्फ्रेन्स ऑन इन्टरस्टेट मिल्क शिपमेन्ट्स (NCIMS) ग्रेड “A” दुग्ध सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निरीक्षित किए जाते हैं। अधित्याग केवल तभी लागू होता है, जब श्रेणी A दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद - जिन्हें निश्चित स्वच्छ स्थितियों के अन्तर्गत उत्पादित किया गया हो - का परिवहन किया जा रहा हो। FDA अधिस्वीकृत करती है कि NCIMS कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य प्रवर्तन एवं FDA निरीक्षण के साथ, ऐसे परिवहन प्रचालनों के लिए नियंत्रण पहले से ही मौजूद हैं।

- सुसंगत विनियामक प्राधिकरण, जैसे कि राज्य अथवा जनजातीय एजेन्सी, द्वारा जारी किए गए वैध अनुज्ञापत्र धारक खाद्य संस्थान जब ऐसे प्रचालन में प्राप्कर्ताओं, शिपर्स तथा कैरियर के रूप में कार्यरत हों, जिनमें संस्थान से परिवहन किए जाने के पश्चात खाद्य पदार्थ को ग्राहकों के पास छोड़ दिया जाता हो। ऐसे संस्थानों के उदाहरणों में शामिल है - रेस्टोरेन्ट, सूपरमार्केट, तथा घरेलू किराना डिलीवरी प्रचालन। FDA अधिस्वीकृत करती है कि खुदरा खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत - राज्य, क्षेत्रीय, जनजातीय, तथा स्थानीय प्रवर्तन एवं FDA निरीक्षण के साथ - ऐसे परिवहन प्रचालनों के लिए नियंत्रण पहले से ही मौजूद हैं।

अनुपालन तिथियां

इस तथ्य को पहचानते हुए कि - व्यवसायों, विशेष रूप से लघु व्यवसायों को इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है - अनुपालन तिथियों को इसी के अनुरूप समायोजित कर दिया गया है।

- **लघु व्यवसाय**—मोटर कैरियर्स के सिवाय अन्य व्यवसाय जो कि शिपर्स तथा/अथवा प्राप्तकर्ता भी नहीं हैं तथा 500 से कम व्यक्तियों को नियोजित किए हुए हैं, तथा $27.5 मिलियन से कम वार्षिक प्राप्तियों वाले मोटर कैरियर्स को - अंतिम नियम के प्रकाशन के दो पर्ष पश्चात अनुपालन करना होगा।

- **अन्य व्यवसाय**—कोई ऐसा व्यवसाय लो कि लघु नहीं है तथा कवरेज से अन्यथा बाहर नहीं किया गया है - को अंतिम नियम के प्रकाशत के एक वर्ष पश्चात अनुपालन करना होगा।

उद्योगजगत को सहायता

- FSMA के प्रति उद्योगजगत की समझ एवं क्रियान्वयन में सहायता करने हेतु सूचना का एक केन्द्रीय स्रोत प्रदान करने के लिए FDA FSMA खाद्य सुरक्षा तकनीकी सहायता नेटवर्क पहले से ही

प्रचालन में है। ऑनलाइन या डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर सूचना विशेषज्ञों अथवा विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा।

- FDA ने एक ऑनलाइन कोर्स तैयार करने की योजना बनाई है, जो इस नियम के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। एजेन्सी का पूर्वानुमान है कि अनुपालन की प्रथम तिथि के प्रभावी बनने से पूर्व यह कोर्स उपलब्ध हो जाएगा।
- एजेन्सी अंतिम नियम का अनुपालन करने में उद्योगजगत की सहायता करने के लिए मार्गदर्शन भी जारी करेगी।

प्रस्तावित नियम में से प्रमुख परिवर्तन

प्रस्तावित नियम को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए 5 फरवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया। FDA सार्वजनिक टिप्पणियों की प्रतिक्रिया में नियम में लगातार परिवर्तन करती आई है, जैसा कि इसने अन्य FSMA नियमों के लिए किया है, जिन्हें पिछले सात महीनों में अंतिम रूप दिया गया है। एजेन्सी का लक्ष्य - प्रत्येक नियम को कम्पनियों के लिए अधिकतम व्यवहार्य बनाते हुए - जन स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

- FSMA के अति महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा लक्ष्य के अनुरूप, इस नियम में अब पूर्णतया ऐसे अभ्यासों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करते हैं, बजाय ऐसे अभ्यासों के जो गुणवत्ता को तो प्रभावित करते हैं परन्तु उपभोग किए जाने के लिए आवश्यक रूप से खतरनाक नहीं बनाते हैं।
    - संघीय खाद्य, औषधि और कॉस्मेटिक (FD&C) अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें परिवहन के दौरान समेत मिलावट के अन्य रूपों एवं खराबियों को कवर किया गया है।
- "परिवहन प्रचालन" की परिभाषा को परिवर्तित करके निम्नलिखित चीजों को हटा दिया गया है:
    - किसी कंटेनर द्वारा पूर्ण रूप से बंद खाद्य पदार्थों का परिवहन (ऐसे खाद्य पदार्थ को छोड़कर जिनके लिए तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है)। मूल प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया गया था कि बंद खाद्य पदार्थों को अवश्य ही शेल्फ-स्टैबेल होना चाहिए (अर्थात एक सीलबंद कंटेनर में कमरे के तापमान पर सुरक्षित तरीके से रखा जा सके) ।
    - किसी कृषक द्वारा निष्पादित किए जाने वाली सभी परिवहन क्रियाकलाप। प्रस्तावित नियम के अन्तर्गत, केवल कच्ची कृषि कमोडिटीज के रूप वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन को हटाया गया होता।

        - कृषि उत्पादों एवं उनके परिवहन प्रचालन की विविधता के कारण ऐसे विनियमन बनाना कठिन हैं, जो व्यापक रूप से उपयुक्त हों। इसके बजाय, FDA श्रेष्ठ कृषि प्रचालन अभ्यासों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने पर विचार कर रही है।
        - वैसे कृषक अभी FD&C अधिनियम के अन्तर्गत विषयाधीन हैं, जो कि अस्वच्छ स्थितियों के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ रखने को निषेधित करता है।
    - मानव खाद्य उपोत्पादों को किसी अतिरिक्त संसाधन के बिना पशु खाद्य के रूप में उपयोग के लिए परिवहन, अर्थात पशुओं को खिलाने के लिए कृषकों को सीधे बेचा जाना। इनमें ऐसे उपोत्पाद नहीं शामिल हैं, जिन्हें चारे या पशु भोजन के रूप में निर्मित करने के लिए इकाईयों तक परिवहन किया जाता है।
    - खाद्य पदार्थ के सम्पर्क में आने वाले पदार्थों का परिवहन, जिसमें शामल हैं - पैकेजिंग में पाए जाने वाले कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, पेपर, एडहेसिव, साथ ही साथ कलरैन्ट्स, एन्टीमाईक्रोबियल्स, तथा एन्टीऑक्सीडेन्ट्स।
    - मोलस्का शेलफिश के सिवाय सजीव खाद्य पशुओं का परिवहन (जैसे कि ऑइस्टर, क्लैम्स, मसेल्स, तथा स्कैल्लोप्स) । मूल प्रस्ताव में सभी सजीव पशु खाद्य पशु, समेत मोसल्का शेलफिश को नहीं शामिल किया गया था।
- एक अन्य परिवर्तन विशेष रूप से रैल कैरियर्स के लिए महत्वपूर्ण है। टिप्पणीकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की थी कि रेल ऑपरेटर्स अक्सर रेलकार में परिवहन किए जाने वाले उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेशन इकाईयों के न तो स्वामी होते हैं, ना ही उन्हें तैयार करते हैं ना ही उन्हें प्रचालित करते हैं, तथा उनके पास विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है - जैसे कि तापमान नियंत्रण तथा स्वच्छ स्थितियां। इसके उपयुक्त होने को सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर रेल कैरियर के बजाय शिपर या लोडर - रेलकार का निरीक्षण करने जैसी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं। इस नियम के अन्तर्गत परिवहन की स्वच्छ स्थितियों की प्रमुख जिम्मेदारी शिपर के ऊपर रहेगी, जबतक कि कैरियर ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए शिपर के साथ एक लिखित अनुबंध ना किया हो।
    - इसके विपरीत, मोटर कैरियर आमतौर पर अपने वाहन के स्वामी होते हैं तथा परिवहन प्रचालनों के दौरान स्वच्छता में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं।
- “लोडर्स” को एक कवर्ड पार्टी के रूप में जोड़ा गया है। लोडर वह व्यक्ति होता है जो खाद्य पदार्थ को मोटर या रेल वाहन पर भौतिक रूप से लोड करता है।

- कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जो एक कंटेनर द्वारा पूरी तरह से बंद नहीं है, को लोड करने से पहले लोडर को यह अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि परिवहन उपकरण उपयुक्त रूप से स्वच्छ स्थिति में है।
- तापमान नियंत्रण की आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थ को लोड करने से पूर्व लोडर को यह अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि प्रत्येक अभियांत्रिक रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज कम्पार्टमेन्ट को रेफ्रिजरेटेड परिवहन समेत प्रि-कूलिंग, यदि आवश्यक हो, के लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

- अंतिम नियम स्पष्ट करते हैं कि वाहन अथवा उपकरण का अभीष्ट उपयोग (जैसे कि पशु चारा बनाम मानव खाद्य का परिवहन), तथा परिवहन किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का उत्पादन चरण (जैसे कि कच्चा माल बनाम पूर्ण रूपसे तैयार उत्पाद) - अनुप्रयोज्य स्वच्छ परिवहन आवश्यकताओं का निर्धारण करने में सक्षम हैं।
- परिवहन के दौरान तापमान दर्शान या रिकॉर्ड करने वाले उपकरण के उपयोग की आवश्यकता के स्थान पर एक अधिक लोचदार कार्यपद्धति लाई गई है। शिपर एवं कैरियर, सुरक्षा के लिए तापमान नियंत्रण की आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थों हेतु तापमान मॉनिटरिंग क्रियाविधि के बारे में सहमत हो सकते हैं।
  - मूल प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया गया था कि एक कम्पार्टमेन्ट अवश्य ही एक थर्मोमीटर, तापमान मापक उपकरण, अथवा तापमान रिकॉर्डिंग उपकरण से सुसज्जित होना चाहिए।
  - एजेन्सी टिप्पणीकर्ताओं की इस बात से सहमत हुई कि तापमान नियंत्रण सुनिश्चित करने के बहुत से प्रभावी तरीके हैं, जिन्हें इस नियम के विषयाधीन पक्षकार उपयोग करने में सक्षम होने चाहिए।
  - एजेन्सी टिप्पणीकर्ताओं की इस बात से भी सहमत हुई कि, पिछले प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक शिपमेन्ट के लिए एक आवश्यकता के रूप में के बजाय - केवल अनुरोध किए जाने पर ही कैरियर्स को यह दर्शाने की आवश्यकता है कि उन्होंने अनुरोध की गई तापमान स्थितियों का रखरखाव किया है।
- उपयुक्त परिवहन प्रचालन का निर्धारण करने की प्रमुख जिम्मेदारी अब शिपर के पास है, जो कि इनमें से कुछ जिम्मेदारियों को अन्य पक्षकारों को सौंपनों के लिए संविदात्मक अनुबंधों पर भरोसा कर सकते हैं।

- शिपर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखित क्रियाविधियां अवश्य ही तैयार एवं क्रियान्वित करनी चाहिए, कि उपकरण एवं वाहन उपयुक्त स्वच्छ स्थिति में हैं।
- भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ का परिवहन करने वाले शिपर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखित क्रियाविधियां अवश्य ही तैयार एवं क्रियान्वित करनी चाहिए, कि किसी पिछले कार्गो के कारण खाद्य पदार्थ असुक्षित नहीं बनेगा।
- सुरक्षा के लिए तापमान नियंत्रण की आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थ के शिपर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखित क्रियाविधियां अवश्य ही तैयार एवं क्रियान्वित करनी चाहिए, कि खाद्य पदार्थ को उपयुक्त तापमान नियंत्रण के अन्तर्गत परिवहन किया जाए।।

- यदि कोई कवर्ड व्यक्ति या कम्पनी को परिवहन शृंखला के दौरान किसी भी बिन्दु पर - तापमान नियंत्रण की सम्भावित विफलता या किसी अन्य स्थिति के बारे में पता चलता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ सुरक्षित बन सकता है, तो सुरक्षा का निर्धारण किए जाने से पहले खाद्य पदार्थ से अनिवार्य रूप से ना तो बेचा ना ही वितरित किया जाना चाहिए।

नियम से छूट

- खाद्य परिवहन प्रचालनों में शामिल $500,000 से कम वार्षिक रेवेन्यू वाले शिपर्स, प्राप्कर्तागण, अथवा कैरियर्स
- किसी कृषक द्वारा निष्पादित किए जाने वाली परिवहन क्रियाकलाप
- ऐसे खाद्य पदार्थ का परिवहन जिसे यूनाइटेड स्टेट्स से किसी दूसरे देश में ट्रांस-शिप किया गया हो
- ऐसे खाद्य पदार्थ का परिवहन, जिसे भविष्य के निर्यात के लिए आयात किया गया हो तथा उसे यूनाइटेड स्टेट्स में ना तो उपभोग किया जाएगा ना ही वितरित किया जाएगा
- कम्प्रेस्ड फूड गैस (जैसे कि, खाद्य एवं पेय पदार्थों में उपयोग के लिए अधिकृत कार्बन डाईऑक्साइड, नाइट्रोजेन अथवा ऑक्सीजन) तथा खाद्य पदार्थ के सम्पर्क में आने वाले पदार्थ
- मानव खाद्य उपोत्पादों को किसी अतिरिक्त संसाधन के बिना पशु खाद्य के रूप में उपयोग के लिए परिवहन
- ऐसे खाद्य पदार्थ का परिवहन जो किसी कंटेनर द्वारा पूर्ण रूप से बंद है, ऐसे खाद्य पदार्थ को छोड़कर जिनकी सुरक्षा के लिए तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है
- मोलस्का शेलफिश को छोड़कर जीवन खाद्य पशुओं का परिवहन